

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5
संख्या- 25/2018/295जे/22-5-2018-1200(49)2018
लखनऊ : दिनांक 23 फरवरी, 2018

वारण्ट

जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हरिओम पुत्र श्री नेपाल सिंह को मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा द्वारा मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उन्हें जिला कारागार, मथुरा में वापस भेज दिया जाये।

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-25/2018/295जे(1)/22-5-2018, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-4338/सामा-1(1)/मानसिक बंदी/9/2018, दिनांक 05-02-2018 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।
2. अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।
3. जिलाधिकारी, मथुरा।
4. पुलिस अधीक्षक, मथुरा।
5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
6. गाई फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।